

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-44/2020-21

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a

सुकरु देवी बनाम विदेशी उराँव

02.11.20

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

सुकरु देवी पति-स्व० दुःखी मुण्डा, ग्राम-तमाड़, पो०-तमाड़, थाना-तमाड़, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-मुण्डा, पेशा-गृहिणी।

क्रेता का नाम एवं पता -

विदेशी उराँव पिता-स्व० कमला उराँव, ग्राम-तमाड़, पो०-तमाड़, थाना-तमाड़, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-उराँव, पेशा-खेती बारी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री परमेश्वर महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-11/09/2020 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत क्रेता विदेशी उराँव पिता-स्व० कमला उराँव, ग्राम-तमाड़, पो०-तमाड़, थाना-तमाड़, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-उराँव, पेशा-खेती बारी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
तमाड़	तमाड़/241	1697	6250	0.44 ए० चौहददी:- उ०-गोपाल दास अधिकारी। द०-बसन्त स्वांसी। पू०-ढूलू मछुवा। प०-सनातन मोची वो कब्रिस्तान।

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, तमाड़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, तमाड़ का पत्रांक-667(ii) दिनांक-16/10/2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत मो० आशामनी जोजे छोटु राय वो मोशमात पछवती जोजे वोनी राय के नाम से दर्ज है।
- (2) विक्रेता पंजी-II रैयत के पुत्नी है।
- (3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम लखीचरण मुन्डा वो दुःखी मुण्डा पिता-स्व० गणेश मुन्डा है।
- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2013-14 तक वसूली गयी है।
- (5) खरीदगी भूमि के आधार जमाबंदी कायम है।
- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन टाँड II किस्म की है।
- (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के हिस्से में खतियानी जमीन लगभग रकबा-1.00 एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।
- (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को बिमारी इलाज हेतु बिक्री कर रही है।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत उराँव एवं मुण्डा जाति के है।
- (10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही पुलिस थाना क्षेत्र अन्तर्गत निवास करते है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, तमाड़ ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत विक्रेता सुकरू देवी पति-स्व० दुःखी मुण्डा, ग्राम-तमाड़, पो०-तमाड़, थाना-तमाड़, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-मुण्डा, पेशा-गृहिणी, को क्रेता विदेशी उराँव पिता-स्व० कमला उराँव, ग्राम-तमाड़, पो०-तमाड़, थाना-तमाड़, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-उराँव, पेशा-खेती बारी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-11/09/2020 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।


अतः अंचल अधिकारी, तमाड़ के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता सुकरू देवी पति-स्व० दुःखी मुण्डा, ग्राम-तमाड़, पो०-तमाड़, थाना-तमाड़, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-मुण्डा, पेशा-गृहिणी, को क्रेता विदेशी उराँव पिता-स्व०

कमला उरॉव, ग्राम-तमाड़, पो०-तमाड़, थाना-तमाड़, जिला-रॉंची, झारखण्ड, जाति-उरॉव, पेशा-खेती बारी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)a के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।


### भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
तमाड़	तमाड़/241	1697	6250	0.44 ए० <u>चौहद्दी:-</u> उ०-गोपाल दास अधिकारी। द०-बसन्त स्वांसी। पू०-ढूलू मछुवा। प०-सनातन मोची वो कब्रिस्तान।

लेखापित एवं संशोधित।

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता।

बुण्डू।

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता।

बुण्डू।